Shodh Sangam Patrika
E-ISSN: 3049-0707, Volume 3 | Issue 3 | (July - September 2026)

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शिक्षा के क्षेत्र में लोकहितकारी योगदान

धनश्री यदुनाथ अतकरे
स्व. पुष्पादेवी पाटील कला व विज्ञान महाविद्यालय, रिसोड

सारांश

भारत के इतिहास में अनेक महान विभूतियों ने समाजहित में उल्लेखनीय कार्य किए हैं। उन्हीं महापुरुषों में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ (तृतीय) का नाम अत्यंत सम्मान एवं आदर के साथ लिया जाता है। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने वर्ष 1875 से 1939 तक के अपने दीर्घ शासनकाल में बड़ौदा रियासत को राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विशिष्ट पहचान दिलाई। वे प्रगतिशील विचारधारा के धनी, समाजहितैषी तथा सामाजिक एवं शैक्षिक सुधारों के लिए अभिनव योजनाएँ लागू करने वाले दूरदर्शी शासक थे। समाज की विभिन्न समस्याओं के समाधान तथा व्यापक सामाजिक सुधारों के उद्देश्य से उन्होंने अनेक प्रभावी नीतियाँ एवं कार्यक्रम तैयार किए तथा उन्हें सफलतापूर्वक क्रियान्वित किया। उनके द्वारा निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था, सार्वजनिक एवं चलित पुस्तकालयों की स्थापना, सैद्धांतिक शिक्षा के साथ कला, कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा को प्रोत्साहन, ज्ञान-विज्ञान के प्रसार हेतु ग्रंथों का प्रकाशन, स्थानीय स्वशासन संस्थाओं के माध्यम से लोकतांत्रिक मूल्यों का विकास, छात्रवृत्ति योजनाओं का संचालन, कृषि सुधार, धार्मिक एवं सामाजिक सुधार, महिला शिक्षा, महिला सशक्तिकरण तथा स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार जैसे अनेक लोकहितकारी कार्य संपन्न किए गए। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का दृढ़ विश्वास था कि राष्ट्र-निर्माण में महिलाओं की भूमिका पुरुषों के समान ही महत्वपूर्ण होती है। इसलिए उन्होंने पुरुष शिक्षा के साथ-साथ महिला शिक्षा को भी विशेष प्राथमिकता प्रदान की। प्रस्तुत शोध-पत्र में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किए गए लोकहितकारी कार्यों का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है।

मुख्य शब्द: शैक्षिक सुधार, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, महिला शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा, छात्रवृत्ति, जनकल्याण।

प्रस्तावना

महाराष्ट्र राज्य के नासिक जनपद के कवळाणा ग्राम में वर्ष 1863 में एक मराठा कृषक परिवार में गोपाल नामक बालक का जन्म हुआ। यही बालक आगे चलकर महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ (तृतीय) के नाम से प्रसिद्ध हुआ। बड़ौदा की महारानी जमनाबाई ने उन्हें दत्तक ग्रहण किया। प्रोफेसर इलियट के मार्गदर्शन में शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात वर्ष 1881 में मात्र 18 वर्ष की आयु में उन्हें पूर्ण शासकीय अधिकार प्राप्त हुए।[1] महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का दृढ़ विश्वास था कि शिक्षा मानव के परिवर्तन, विकास एवं प्रगति का सर्वाधिक प्रभावी साधन है। उनका मानना था कि किसी भी शासक का कर्तव्य केवल स्वयं शिक्षित होना ही नहीं, बल्कि अपनी प्रजा को भी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है।[2] महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ का शैक्षिक दृष्टिकोण परंपरागत न होकर आधुनिक, प्रगतिशील एवं व्यावहारिक था। उनका विश्वास था कि समाज में व्याप्त निर्धनता, अज्ञानता तथा अनेक सामाजिक समस्याओं का मूल कारण अशिक्षा है तथा इन समस्याओं का स्थायी समाधान केवल शिक्षा के माध्यम से ही संभव है। इसी विचार से प्रेरित होकर उन्होंने "हर गाँव में विद्यालय" की अवधारणा को व्यवहार में परिणत किया तथा प्रत्येक गाँव में विद्यालय स्थापित कर शिक्षा को जनसामान्य के द्वार तक पहुँचाने का उल्लेखनीय एवं अनुकरणीय प्रयास किया।

शोध पद्धतिः प्रस्तुत शोध-पत्र ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति पर आधारित है।

विषय-विवेचन

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ भली-भाँति जानते थे कि शिक्षा ही व्यक्ति के सर्वांगीण विकास का सर्वाधिक प्रभावी माध्यम है। इसी कारण उन्होंने बड़ौदा राज्य की शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ एवं व्यापक बनाने पर विशेष बल दिया।

बड़ौदा में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में किया गया सबसे महत्वपूर्ण सुधार प्राथमिक शिक्षा को निःशुल्क एवं अनिवार्य बनाना था। भारत में बड़ौदा राज्य निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा लागू करने वाला प्रथम राज्य था। इसका प्रथम प्रयोग वर्ष 1893 में अमरेली विभाग में प्रायोगिक आधार पर किया गया। इसके पश्चात वर्ष 1906 में बड़ौदा राज्य में निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा अधिनियम लागू किया गया। इस अधिनियम की प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं–

1. अधिनियम की धारा 4 के अनुसार अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा के लिए बालक एवं बालिकाओं की आयु
1. सीमा 7 से 12 वर्ष निर्धारित की गई थी।[1]
2. धारा 5 के अनुसार निर्धारित आयु वर्ग के सभी बालक-बालिकाओं के अभिभावकों के लिए अपने बच्चों को
3. विद्यालय भेजना अनिवार्य किया गया था।
4. यह अधिनियम संपूर्ण बड़ौदा राज्य में लागू था। तथापि अधिनियम की धारा 2 के अनुसार विशेष परिस्थितियों में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ किसी क्षेत्र अथवा समुदाय को इस अधिनियम से आंशिक अथवा पूर्ण छूट प्रदान कर सकते थे।[2]
5. अधिनियम में यह भी प्रावधान किया गया था कि अनिवार्य शिक्षा की आयु के बच्चों से श्रम कराने अथवा उन्हें रोजगार पर रखने वाले नियोक्ताओं के विरुद्ध भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।[2]
6. जो अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते थे, उन्हें निर्धारित तिथि पर न्यायिक सुनवाई हेतु उपस्थित होना अनिवार्य था। दोषी पाए जाने पर उन पर आर्थिक दंड लगाया जाता था। प्रथम अपराध पर आठ आने, द्वितीय अपराध पर एक रुपया तथा उसके पश्चात प्रत्येक अपराध पर पूर्व निर्धारित दंड में दो आने की वृद्धि की जाती थी। अधिनियम के अनुसार अधिकतम दंड राशि दस रुपये निर्धारित की गई थी।
7. धारा 13 के अनुसार जब तक अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय भेजना प्रारंभ नहीं करते थे, तब तक उन पर प्रत्येक माह दंड लगाया जाने का प्रावधान था।
8. धारा 14 के अंतर्गत यदि विद्यार्थी स्वयं बीमार हो अथवा परिवार का कोई सदस्य अस्वस्थ हो, अथवा अभिभावकों के व्यवसाय में विद्यार्थी की सहायता अत्यावश्यक हो, तो एक बार में 15 दिनों अथवा पूरे वर्ष में अधिकतम 30 दिनों के अवकाश की अनुमति दी जाती थी। इन परिस्थितियों के अतिरिक्त प्रत्येक विद्यार्थी के लिए प्रत्येक माह कार्य दिवसों के कम-से-कम दो-तिहाई दिनों तक विद्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य था।
9. जो अभिभावक अपने बच्चों को विद्यालय नहीं भेजते थे, उनके लिए निर्धारित दंड राशि का भुगतान 15 दिनों के भीतर करना अनिवार्य था। अन्यथा यह राशि उनके भूमि-राजस्व से वसूल की जाती थी।
10. अधिनियम की धारा 26 के अनुसार दंड से प्राप्त समस्त राशि केवल शिक्षा के विकास हेतु व्यय की जाती थी। इसमें 65 प्रतिशत राशि विद्यालय भवनों के निर्माण एवं रखरखाव पर तथा शेष 35 प्रतिशत राशि पुस्तकों

की व्यवस्था एवं आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों की सहायता पर व्यय की जाती थी।

शिक्षा आयोग की अनुशंसाओं तथा हुजूर आदेश के अनुसार वर्ष 1910-11 में अनिवार्य शिक्षा की आयु सीमा में संशोधन किया गया। इसके अंतर्गत बालकों के लिए शिक्षा की आयु 12 वर्ष तथा बालिकाओं के लिए 11 वर्ष निर्धारित की गई। इसी अवधि में विधानमंडल में 'फैक्टरी बिल' प्रस्तुत किया गया, जिसके अंतर्गत विद्यालय जाने की आयु के बच्चों से कारखानों एवं मिलों में अल्प वेतन पर श्रम कराए जाने पर प्रतिबंध लगाया गया। इसका उद्देश्य बालकों के बचपन की सुरक्षा सुनिश्चित करना था। इसी वर्ष 'चिल्ड्रन कोर्ट एक्ट' भी पारित किया गया, जिसके अनुसार बाल अपराधियों के सुधार का उत्तरदायित्व शिक्षा विभाग को सौंपा गया।

तत्कालीन प्रशासन के ध्यान में यह तथ्य आया कि अधिनियम में निर्धारित आयु सीमा के भीतर विद्यार्थियों की प्राथमिक शिक्षा पूर्ण कराना व्यावहारिक रूप से संभव नहीं हो पा रहा था। साथ ही, 'अर्ली मैरिज प्रिवेंशन एक्ट' के लागू होने के बाद बालिकाओं का विवाह 12 वर्ष की आयु से पूर्व नहीं किया जाता था। इन परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए 1 अगस्त 1913 को सरकार ने निर्णय लिया कि बालिकाओं के लिए अनिवार्य शिक्षा की आयु 12 वर्ष तथा बालकों के लिए 14 वर्ष निर्धारित की जाए। साथ ही, अनिवार्य शिक्षा की सीमा पाँचवीं कक्षा तक विस्तारित कर दी गई। इसी विचारधारा के अनुरूप महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने राज्य के कुल शिक्षा बजट का लगभग तीन-चौथाई (3/4) भाग प्राथमिक शिक्षा के विकास हेतु व्यय किया।

औद्योगिक प्राथमिक विद्यालय

सन 1920 में बड़ौदा सरकार ने एक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए राज्य की कुछ प्राथमिक शालाओं को औद्योगिक प्राथमिक विद्यालय घोषित किया। इस योजना का प्रारंभ पाटन, विसनगर, डभोई तथा पेटलाड के प्राथमिक विद्यालयों से किया गया। इन विद्यालयों के विकास हेतु सरकार द्वारा प्रत्येक विद्यालय को 8,000 रुपये का अनुदान प्रदान किया गया। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने विदेश प्रवासों के दौरान वहाँ के औद्योगिक विकास तथा उसके सामाजिक और आर्थिक प्रभावों का प्रत्यक्ष अनुभव किया था। इसी अनुभव के आधार पर उन्होंने अपने राज्य में भी औद्योगिक एवं व्यवसायोन्मुख शिक्षा को प्रोत्साहित करने की नीति अपनाई।

छात्रवृत्ति

आर्थिक अभाव के कारण किसी भी जिज्ञासु एवं मेधावी विद्यार्थी की शिक्षा बाधित न हो, इस उद्देश्य से बड़ौदा सरकार ने हाईस्कूल स्तर पर एक वर्ष की अवधि के लिए 280 रुपये की 42 छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं। इसके अतिरिक्त पाँच मेरिट छात्रवृत्तियाँ (4 रुपये), 20 जिम्नास्टिक्स छात्रवृत्तियाँ (प्रति माह 8 आने) बड़ौदा हाईस्कूल के विद्यार्थियों को दी जाती थीं। अनुसूचित एवं पिछड़े वर्ग के विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से 4 रुपये तथा 8 रुपये की आठ छात्रवृत्तियाँ भी प्रदान की जाती थीं। इसके अतिरिक्त बड़ौदा कॉलेज की विभिन्न परीक्षाओं में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले विद्यार्थियों को 14 रुपये से 22 रुपये तक की 14 छात्रवृत्तियाँ प्रदान की जाती थीं। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ अपने निजी कोष से प्रतिवर्ष कुल 9,828 रुपये की 62 छात्रवृत्तियाँ भी उपलब्ध कराते थे।

माध्यमिक शिक्षा

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने प्राथमिक शिक्षा के साथ-साथ माध्यमिक शिक्षा के विकास पर भी विशेष ध्यान दिया। इसी उद्देश्य से उन्होंने अनेक माध्यमिक विद्यालयों की स्थापना की। बड़ौदा हाईस्कूल, जिसकी स्थापना वर्ष

1871 में हुई थी, उस समय की एक उत्कृष्ट शिक्षण संस्था थी। विद्यार्थियों में शारीरिक शिक्षा तथा खेलों के प्रति रुचि विकसित करने के लिए इस विद्यालय में व्यायामशाला (जिम्नेजियम) की स्थापना की गई। 2 जुलाई 1879 को पाटन में 'द पाटन एंग्लो वर्नाक्युलर स्कूल' की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1895 में फतेह सिंह इंग्लिश इंस्टीट्यूट को एक पंजीकृत संस्था के रूप में प्रारंभ किया गया। इन संस्थाओं ने विद्यार्थियों की शिक्षा को निरंतर बनाए रखने में महत्वपूर्ण योगदान दिया।

उच्च शिक्षा

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने प्राथमिक एवं माध्यमिक शिक्षा के साथ-साथ उच्च शिक्षा के विकास पर भी विशेष बल दिया। वर्ष 1879-80 में बड़ौदा में वर्नाक्युलर कॉलेज ऑफ साइंस की स्थापना की गई, जहाँ चिकित्सा, अभियांत्रिकी, विधि, अंग्रेज़ी तथा संस्कृत विषयों का अध्ययन कराया जाता था। वर्ष 1880 में इस महाविद्यालय में 48 विद्यार्थी अध्ययनरत थे। वर्ष 1881 में बड़ौदा कॉलेज की स्थापना की गई, जिसे वर्ष 1890 में मान्यता प्राप्त हुई। महाराजा ने सामाजिक जागरण के साथ-साथ छात्रवृत्ति, आर्थिक सहायता तथा रोजगार में महिलाओं को प्राथमिकता देने की व्यवस्था भी की। उनके निर्देशानुसार वर्ष 1889 में बड़ौदा कॉलेज में एक स्वतंत्र कृषि विभाग की स्थापना की गई। आगे चलकर वर्ष 1949 में बड़ौदा विश्वविद्यालय की स्थापना हुई, जिससे उच्च शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हुई।

व्यावसायिक शिक्षा

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने भारत में व्यावसायिक एवं उद्योगोन्मुख शिक्षा की दिशा में एक अभिनव और ऐतिहासिक पहल की। इस उद्देश्य से वर्ष 1890 में 'कलाभवन' नामक संस्था की स्थापना की गई। इस संस्था में प्रारंभ में रंगशाला स्थापित की गई तथा बाद में क्रमशः चित्रकला विद्यालय, शिल्पकला विद्यालय, यंत्र विभाग तथा बुनाई (वीणकाम) का प्रशिक्षण प्रारंभ किया गया। वर्ष 1902 से 1908 तक घड़ियाँ बनाने का विशेष प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इसके अतिरिक्त वर्ष 1900 में बटन, स्टील पेन, एनिमल ब्रश तथा अन्य उपयोगी वस्तुओं के निर्माण का प्रशिक्षण देने के लिए भी विशेष कक्षाएँ प्रारंभ की गईं। इस प्रकार महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने विद्यार्थियों को रोजगारोन्मुख एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने का महत्वपूर्ण प्रयास किया।

स्त्री शिक्षा

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने महिलाओं के उत्थान के लिए हरसंभव प्रयास किए। उनका दृढ़ विश्वास था कि यदि समाज और राष्ट्र का समग्र विकास करना है, तो सबसे पहले महिलाओं का विकास आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने बड़ौदा राज्य में महिलाओं के विकास हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएँ प्रारम्भ कीं। भारत में महिलाओं को मतदान का अधिकार प्रदान करने वाला बड़ौदा पहला राज्य था।

महाराजा ने वर्ष 1875 में बड़ौदा में दो कन्या विद्यालयों की स्थापना की। इसके पश्चात इन विद्यालयों की संख्या निरंतर बढ़ती गई। वर्ष 1889-90 तक कन्या विद्यालयों की संख्या 39 हो गई, जो 1899-1900 में बढ़कर 97 तथा 1910-11 में 347 तक पहुँच गई। आगे चलकर वर्ष 1926-27 में इनकी संख्या 375 हो गई। इसी प्रकार छात्राओं की संख्या में भी निरंतर वृद्धि हुई। प्रारम्भ में छात्राओं की संख्या बहुत कम थी, जो 1889-90 में बढ़कर 3,415 हो गई। महिलाओं में अध्ययन-अध्यापन की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करने के लिए महाराजा ने वर्ष 1907 में एक महिला पुस्तकालय की भी स्थापना की।

'वर्नाक्युलर एजुकेशन एक्ट, 1913' में महिला शिक्षा के संबंध में अनेक महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए थे। इनमें प्रमुख प्रावधान निम्नलिखित हैं–

1. विद्यार्थियों के उत्तम स्वास्थ्य के लिए शिक्षकों को उनके शारीरिक शिक्षण पर विशेष ध्यान देना चाहिए। (नियम संख्या 601)
1. सिलाई-कढ़ाई के शिक्षण हेतु प्रशिक्षित महिला शिक्षिका, दर्जिन अथवा शिक्षक की नियुक्ति की जाए तथा कक्षा तृतीय अथवा बालिका की आयु 9-10 वर्ष होने तक यह शिक्षा अनिवार्य रहे। (नियम संख्या 610)
2. विद्यालयीन अध्ययन के अतिरिक्त छात्राओं को कढ़ाई, सिलाई एवं बुनाई का प्रशिक्षण दिया जाए तथा दैनिक जीवन के लिए आवश्यक सिलाई-कौशल विकसित किया जाए। इसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रधानाध्यापिका की होगी। (नियम संख्या 612)
3. पाककला, गरबा, प्राथमिक चिकित्सा आदि विषयों का शिक्षण यथासंभव प्रधानाध्यापिका स्वयं दें तथा अन्य शिक्षकों को भी इन विषयों का पर्याप्त ज्ञान हो। (नियम संख्या 613)
4. जिन कन्या विद्यालयों में चित्रकला का शिक्षण प्रारम्भ किया गया है अथवा किया जाना है, वहाँ इसका प्रारम्भ कक्षा तृतीय से किया जाए। (नियम संख्या 615)
5. जिन शिक्षकों को स्वास्थ्य विज्ञान का अच्छा ज्ञान हो, वे सप्ताह में कम-से-कम एक घंटे विद्यार्थियों को स्वास्थ्य संबंधी जानकारी प्रदान करें। (नियम संख्या 626)
6. किसी वस्तु का ज्ञान कराने के लिए उसकी मिट्टी से बनी प्रतिकृति पहले से तैयार रखी जाए, जिससे विद्यार्थियों को विषय का बेहतर बोध हो सके। (नियम संख्या 627)

महारानी चिमणाबाई ने भी महिला शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान दिया। उनकी प्रेरणा से महारानी चिमणाबाई महिला पाठशाला, श्री चिमणाबाई स्त्री उद्योगालय, महारानी हाईस्कूल फॉर गर्ल्स, महारानी चिमणाबाई मैटर्निटी एंड चाइल्ड वेलफेयर लीग, महारानी चिमणाबाई लेडीज़ क्लब, चिमणाबाई श्री उद्योगालय, महारानी चिमणाबाई स्त्री समाज कन्या आरोग्य मंदिर तथा अन्य अनेक संस्थाओं की स्थापना की गई।

ज़नाना कक्षाएँ

उस समय बड़ौदा में पर्दा प्रथा का व्यापक प्रचलन था। महिलाएँ सामाजिक रूढ़ियों और परम्पराओं के बंधनों में जकड़ी हुई थीं। महाराजा ने शिक्षा के माध्यम से इन रूढ़ियों को समाप्त करने का प्रयास किया। पर्दानशीं महिलाओं तक शिक्षा पहुँचाने के लिए विशेष रूप से ज़नाना कक्षाओं की व्यवस्था की गई। इन कक्षाओं में केवल पुस्तकीय शिक्षा ही नहीं, बल्कि गृह-प्रबंधन, लेखा-जोखा, सिलाई, कढ़ाई आदि उपयोगी विषयों का प्रशिक्षण भी दिया जाता था। इस प्रकार इन कक्षाओं में महिलाओं को व्यावसायिक एवं जीवनोपयोगी शिक्षा प्रदान की जाती थी।

अस्पृश्य एवं आदिवासी विद्यार्थियों के लिए शिक्षा की व्यवस्था

उस समय समाज में अस्पृश्यों के साथ भेदभावपूर्ण व्यवहार किया जाता था और उनके लिए शिक्षा प्राप्त करना अत्यंत कठिन था। महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अस्पृश्य एवं आदिवासी समाज को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने के लिए विशेष प्रयास किए। उन्होंने इनके बच्चों के लिए पृथक विद्यालय स्थापित किए तथा आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों के लिए छात्रावास और छात्रवृत्ति की व्यवस्था की। इन सुविधाओं का लाभ महर्षि कर्वे तथा डॉ. भीमराव आंबेडकर जैसे विद्वानों को भी प्राप्त हुआ।

महाराजा ने सोनगढ़, प्यारा, मुहुवा, अनावल तथा तिलकवाड़ा आदि स्थानों पर छात्रावास स्थापित किए। मुस्लिम समुदाय के विद्यार्थियों के लिए भी पृथक विद्यालय खोले गए। उनका स्पष्ट मत था कि जाति और धर्म से ऊपर उठकर प्रत्येक व्यक्ति को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर मिलना चाहिए।

वर्ष 1882 में महाराजा ने बड़ौदा राज्य में अस्पृश्य एवं आदिवासी समुदाय के लिए निःशुल्क शिक्षा का कानून लागू किया। वर्ष 1883 में इन समुदायों के बच्चों के लिए दो विद्यालय कार्यरत थे। आगे चलकर 1891 तक इनकी संख्या बढ़कर दस तथा 1896 तक बीस हो गई। वर्ष 1891-92 में बड़ौदा, अमरेली, पाटन तथा नवसारी में अस्पृश्य विद्यार्थियों के लिए छात्रावास स्थापित किए गए, जहाँ उनके निवास, भोजन तथा आवश्यक जीवनोपयोगी सामग्री की व्यवस्था की गई। वर्ष 1907-08 के आसपास महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ौदा में अस्पृश्य विद्यार्थियों के लिए विशेष छात्रावास की स्थापना की। उन्होंने डॉ. भीमराव आंबेडकर को वर्ष 1913 में अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय में उच्च शिक्षा के लिए तीन वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की। इसी आर्थिक सहायता के माध्यम से डॉ. आंबेडकर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका जा सके।

विदेश में शिक्षा की व्यवस्था

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने अपने शासनकाल में 26 विदेश यात्राएँ कीं। उन्होंने विद्यार्थियों को विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए छात्रवृत्तियाँ प्रदान कीं। लंदन और पेरिस की यात्राओं के दौरान उन्होंने वहाँ से अनेक चित्रों एवं मूर्तियों का संग्रह किया। फ्रांस प्रवास के समय उन्होंने फ्रेंच भाषा का अध्ययन किया तथा जिस होटल में वे ठहरे थे, वहाँ की प्रबंधन व्यवस्था का भी सूक्ष्म निरीक्षण किया।

समाज में व्याप्त निरक्षरता को दूर करने तथा लोगों में पढ़ने-लिखने की रुचि विकसित करने के उद्देश्य से महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने सरल, मनोरंजक एवं ज्ञानवर्धक पुस्तकों का प्रकाशन करवाया। जनसामान्य को शिक्षा के प्रति प्रेरित करने के लिए उन्होंने विभिन्न विषयों की पुस्तकों का मुद्रण कराया तथा उन्हें राज्य के व्यय पर जनता तक पहुँचाने की व्यवस्था की। विद्यार्थियों के लिए सचित्र, मनोरंजक एवं रोचक पुस्तकों का भी प्रकाशन कराया गया। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'पुस्तकालय' नामक गुजराती मासिक पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ किया। मराठी ग्रंथ संग्रहालय संस्था के उद्घाटन समारोह में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने पुस्तकालयों के महत्व पर प्रकाश डालते हुए कहा कि पुस्तकालयों की स्थापना का उद्देश्य मानव के विचारों एवं कार्यों का स्थायी अभिलेखन करना है, ताकि वे भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणास्रोत एवं मार्गदर्शक बन सकें।

सन् 1910 में बड़ौदा में 'मध्यवर्ती पुस्तकालय विभाग' की स्थापना की गई, जिसका प्रमुख उद्देश्य राज्य में पुस्तकालयों के विकास तथा उनसे संबंधित विभिन्न गतिविधियों को प्रोत्साहित करना था। इसके परिणामस्वरूप सन् 1911 तक पूरे राज्य में 302 सार्वजनिक पुस्तकालय स्थापित किए जा चुके थे। सन् 1910 में बड़ौदा के केंद्रीय पुस्तकालय में कुल 28,653 पुस्तकें उपलब्ध थीं। इन पुस्तकालयों के माध्यम से ज्ञान का व्यापक प्रसार हुआ तथा बड़ौदा राज्य की जनता में साक्षरता का स्तर निरंतर बढ़ने लगा।

बड़ौदा राज्य में महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ के अभिनव शैक्षिक एवं सामाजिक उपक्रम

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने बड़ौदा राज्य में अनेक नवाचारपूर्ण शैक्षिक एवं सामाजिक उपक्रम प्रारंभ किए, जिनका उद्देश्य विद्यार्थियों के सर्वांगीण विकास के साथ-साथ समाज के विभिन्न वर्गों का उत्थान करना था। इन उपक्रमों के माध्यम से विद्यार्थियों को अपनी प्रतिभा और कौशल विकसित करने का अवसर प्राप्त हुआ। सन् 1884 से विद्यालय

स्तर पर चित्रकला कक्षाओं का शुभारंभ किया गया। यह एक ऐच्छिक पाठ्यक्रम था, जिसे विद्यार्थियों का व्यापक समर्थन प्राप्त हुआ। विद्यार्थियों की रुचि और प्रगति को देखते हुए उन्हें बॉम्बे स्कूल ऑफ आर्ट की फर्स्ट ग्रेड ड्राइंग परीक्षा में सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया गया, जिसमें उन्होंने उत्कृष्ट सफलता प्राप्त की। इसके पश्चात नवंबर 1891 में महाराजा ने केवल बालिकाओं के लिए ही नहीं, बल्कि बालकों के लिए भी पाककला विद्यालय की स्थापना की। इस विद्यालय में दो विभाग संचालित किए गए–एक शाकाहारी पाककला तथा दूसरा मांसाहारी पाककला। उस समय समाज में प्रचलित रूढ़ियों के कारण पुरुषों द्वारा घरेलू कार्य या भोजन बनाना उचित नहीं माना जाता था, किंतु महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ की विचारधारा अपने समय से कहीं अधिक प्रगतिशील थी। उनका मानना था कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवनोपयोगी कौशलों का ज्ञान होना चाहिए।

बीसवीं शताब्दी के प्रारंभिक वर्षों में बड़ौदा राज्य भीषण अकाल से प्रभावित हुआ, जिसके कारण अनेक परिवार बेघर हो गए तथा अनेक बालक अपने अभिभावकों से बिछड़ गए। ऐसे बच्चों के पालन-पोषण की जिम्मेदारी राज्य सरकार ने अपने ऊपर ली। अकाल की स्थिति सामान्य होने पर अनेक अभिभावकों ने अपने बच्चों को वापस ले लिया, किंतु अनेक बच्चों के परिवारों का कोई पता नहीं चल सका। ऐसे निराश्रित बालकों के लिए महाराजा के आदेश पर अनाथालयों की स्थापना की गई, जहाँ उनके भोजन, वस्त्र, आवास तथा अन्य आवश्यक सुविधाओं की समुचित व्यवस्था की गई। इन संस्थाओं के सुचारु संचालन एवं बच्चों के संरक्षण हेतु ऑर्फनेज एक्ट (Orphanage Act) पारित कर उन्हें विधिक स्वरूप प्रदान किया गया। सन् 1905 में बड़ौदा, मेहसाणा, अमरेली तथा सोनगढ़ में बालकों के लिए बोर्डिंग स्कूल तथा सोनगढ़ में बालिकाओं के लिए बोर्डिंग स्कूल स्थापित किए गए। इन विद्यालयों में कुल 165 बच्चों के रहने और शिक्षा की व्यवस्था की गई, जिनमें 99 बालक तथा 66 बालिकाएँ सम्मिलित थीं।

महाराजा ने बड़ौदा में सेंट्रल बुक डिपो की स्थापना भी की। इसका उद्देश्य गुजराती सहित विभिन्न भाषाओं की महत्वपूर्ण पुस्तकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराना था। इस योजना के अंतर्गत राज्यभर में जिला स्तर पर इस डिपो की 36 शाखाएँ स्थापित की गईं, जिससे ज्ञान और साहित्य का व्यापक प्रसार संभव हुआ। सैनिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए सरकार ने बैटलियन स्कूल की स्थापना की। साथ ही, शिशु शिक्षा को अधिक प्रभावी बनाने के उद्देश्य से किंडरगार्टन शिक्षण-पद्धति को भी प्रारंभ किया गया।

महाराजा का विश्वास था कि प्रत्येक विद्यार्थी में जन्मजात प्रतिभा एवं सुप्त गुण विद्यमान होते हैं, जिन्हें उचित अवसर और प्रशिक्षण के माध्यम से विकसित किया जा सकता है। इसी उद्देश्य से हस्तकला कक्षाओं का शुभारंभ किया गया। विसनगर, पाटन तथा कडी के विद्यालयों में विद्यार्थियों को चित्रकला, बढ़ईगिरी तथा अन्य हस्तकलाओं का प्रशिक्षण प्रदान किया जाता था, जिससे उनमें व्यावहारिक कौशल और सृजनात्मकता का विकास हो सके। इस प्रकार महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ द्वारा प्रारंभ किए गए विविध शैक्षिक एवं सामाजिक उपक्रमों ने बड़ौदा राज्य के विद्यार्थियों, कारीगरों, महिलाओं, सैनिक परिवारों तथा निराश्रित बालकों के जीवन में सकारात्मक परिवर्तन लाए। इन योजनाओं ने न केवल शिक्षा के प्रसार और कौशल विकास को प्रोत्साहित किया, बल्कि बड़ौदा राज्य को सामाजिक, शैक्षिक एवं सांस्कृतिक दृष्टि से प्रगतिशील राज्य के रूप में स्थापित करने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

निष्कर्ष

महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ इस तथ्य से भली-भाँति परिचित थे कि शिक्षा के क्षेत्र में स्त्री और पुरुष दोनों की समान भागीदारी आवश्यक है। इसी उद्देश्य से उन्होंने महिलाओं की शिक्षा की विशेष व्यवस्था की। जो महिलाएँ विद्यालय जाकर शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकती थीं, उनके लिए जनाना कक्षाओं तथा चलित (भ्रमणशील) पुस्तकालयों

जैसी अभिनव योजनाएँ प्रारम्भ कीं। महाराजा ने शिक्षा के क्षेत्र में अनेक प्रगतिशील एवं सुधारवादी कानून लागू किए, जिनसे शिक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्राप्त हुआ। ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के महत्व को ध्यान में रखते हुए उन्होंने गाँवों में पुस्तकालयों की स्थापना का नवीन उपक्रम आरम्भ किया। साथ ही अपने प्रेरणादायी भाषणों के माध्यम से जनसामान्य में पठन-पाठन एवं अध्ययन के महत्व के प्रति जागरूकता उत्पन्न की। उन्होंने सभी जातियों एवं धर्मों के लोगों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का उल्लेखनीय प्रयास किया तथा शिक्षा के क्षेत्र में समान अवसर प्रदान किए। महाराजा ने अपने राज्य में व्यवसायोन्मुख (व्यावसायिक) शिक्षा को प्रोत्साहित किया तथा इसके अंतर्गत अनेक उपयोगी एवं नवीन कार्यक्रमों का संचालन किया। उन्होंने यह सुनिश्चित किया कि राज्य का कोई भी व्यक्ति शिक्षा से वंचित न रहे। सभी वर्गों को शिक्षा की मुख्यधारा में सम्मिलित किया तथा विशेष रूप से महिलाओं की शिक्षा और उन्नति के लिए अद्वितीय कार्य किए, जिससे समाज में महिलाओं की सामाजिक एवं शैक्षिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ। बालकों के सर्वांगीण व्यक्तित्व एवं कौशल विकास के लिए विभिन्न प्रकार की शैक्षिक एवं सहशैक्षिक गतिविधियों का आयोजन किया तथा उनमें सक्रिय एवं उत्साहपूर्ण सहभागिता को प्रोत्साहित किया।

संदर्भ सूची

1) हिंगुराव मंदा, (अनुवाद - डॉ. सुषमा करोगल) (2019), 'महाराजे सयाजीराव आणि स्त्री शिक्षण' , साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, प्रथम आवृत्ती.
2) तायडे डॉ.विशाल , (2020), ' महाराजा सयाजीराव यांच्या सुधारणा शिक्षण ' , महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने प्रकाशन समिती, औरंगाबाद.
3) भांड बाबा, (2016), 'स्वातंत्र्य लढ्याचे पाठीराखे सयाजीराव गायकवाड' , साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद, प्रथम आवृत्ती.
4) भांड बाबा (संपा.), (2013), 'महाराजा सयाजीराव विचारधन' , साकेत प्रकाशन,पुणे, प्रथम आवृत्ती.
5) भांड बाबा, (2014), 'युगद्रष्टा महाराजा सयाजीराव गायकवाड' , साकेत प्रकाशन, गांधीनगर ,औरंगाबाद, सातवी आवृत्ती.
6) भांड बाबा, (संपा) ,(2013), 'सयाजीराव गायकवाड निवडक कायदे अर्थात हुजूर हुकूम' साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद.
7) भांड बाबा, (2009), 'सयाजीराव गायकवाड यांची भाषणे, खंड - 1' (शिक्षण, धर्म आणि तत्वज्ञान) भूमिका, साकेत प्रकाशन,औरंगाबाद, प्रथम आवृत्ती.
8) भांड बाबा, (2020), महाराजा सयाजीराव गौरवगाथा युगपुरुषाची, भाग - 2, महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने प्रकाशन समिती, औरंगाबाद.
9) भांड बाबा, (2012), ' लोकपाठ राजा सयाजीराव ' , साकेत प्रकाशन, औरंगाबाद.
10) आपटे दा. ना. , (1936), ' श्री. महाराजा सयाजीराव तिसरे यांचे चरित्र, खंड - 1,2,3. .
11) भांड बाबा , (2020), ' महाराजा सयाजीराव गौरवगाथा युगपुरुषाची, भाग - 2 ' , महाराजा सयाजीराव गायकवाड चरित्र साधने प्रकाशन समिती, औरंगाबाद.